प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2.समस्त समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू/ एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 एडमिन इकपेन्सस / 2015–16 / 51–सी/ 7451-2 दिनांक: 5/11/15

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु 128 जिला अस्पतालों एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों (लखनऊ हेतु 03 अतिरिक्त कम्प्यूटर हेतु) में अन्य ऑफिस व्यय (Stationery Support for work plan generation) हेतु हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संम्बंध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2015–16 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:–

"Approved for other office expenditure (Stationery Support for work plan generation) @ Rs 1500 per month per block for BPMU and @ Rs 1000 per month per District Hospitals. This is subject to 100% facility based reporting on HMIS & MCTS portal and improvement in data quality thereof. Procurement should be done based on competitive bidding and by following Government protocols."

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:–

समस्त ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों एवं जिला अस्पताल में अन्य आफिस व्यय हेतु रु0 1,500.00 प्रति ब्लाक प्रति माह एवं जिला अस्पताल में रू 1000.00 प्रति जिला अस्पताल की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इसके अर्न्तगत एच0एम0आई0एस0 एवं मदर चाइल्ड ट्रैकिंग पोर्टल पर 100 प्रतिशत फैसिलिटी बैस्ड रिर्पोटिग हेतु होने वाले अन्य ऑफिस व्ययो के संबंध में किया जाना है।

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

FMR Code: B.15.3.2.12: Other Office Expenditure (01-04-15 to 31-03-2016)

No.	Division	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Approved for other office expenditure for 823 Block PMU @ Rs 1,500/month and 128 DHs @ Rs 1000/month
			823	19	56	53	128	B15.3.2.12
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	(Col 4 X Rs 18000+ Col 8X Rs 12000)
1	Agra	Agra	15		1	1	2	294000
2	Agra	Firozabad	9	1	1	1	3	198000
3	Agra	Mainpuri	9		1	1	2	186000

4	Agra	Mathura	10		1	1	2	204000
5	Aligarh	Aligarh	12	1	1	1	3	252000
6	Aligarh	Etah	8		1	1	2	168000
7	Aligarh	Hathras	7	1		1	2	150000
8	Aligarh	Kashganj	7		1		1	138000
9	Allahabad	Allahabad	20		2	1	3	396000
10	Allahabad	Fatehpur	13		1	1	2	258000
11	Allahabad	Kaushambi	8	1			1	156000
12	Allahabad	Pratapgarh	17		1	1	2	330000
13	Azamgarh	Azamgarh	22		1	1	2	420000
14	Azamgarh	Ballia	17		1	1	2	330000
15	Azamgarh	Mau	9	1			1	174000
16	Bareilly	Bareilly	15		1	1	2	294000
17	Bareilly	Budaun	15		1	1	2	294000
18	Bareilly	Pilibhit	7		1	1	2	150000
19	Bareilly	Shahjahanpur	15		1	1	2	294000
20	Basti	Basti	14		1	1	2	276000
21	Basti	Sant K Nagar	9				0	162000
22	Basti	Siddharth N	14	1			1	264000
23	Chitrakoot	Banda	8		1	1	2	168000
24	Chitrakoot	Chitrakoot	5	1			1	102000
25	Chitrakoot	Hamirpur	7		1	1	2	150000
26	Chitrakoot	Mahoba	4	1		1	2	96000
27	Devipatan	Bahraich	14		1	1	2	276000
28	Devipatan	Balrampur	9		1	1	2	186000
29	Devipatan	Gonda	16		1	1	2	312000
30	Devipatan	Shrawasti	5				0	90000
31	Faizabad	Ambedkar N	9	1			1	174000

32	Faizabad	Amethi	13	0	0	0	0	234000
33	Faizabad	Barabanki	15		1	1	2	294000
34	Faizabad	Faizabad	11		1	1	2	222000
35	Faizabad	Sultanpur	13		1	1	2	258000
36	Gorakhpur	Deoria	16		1	1	2	312000
37	Gorakhpur	Gorakhpur	19		1	1	2	366000
38	Gorakhpur	Kushinagar	14	1			1	264000
39	Gorakhpur	Maharajganj	12	1			1	228000
40	Jhansi	Jalaun	9		1	1	2	186000
41	Jhansi	Jhansi	8		1	1	2	168000
42	Jhansi	Lalitpur	6		1	1	2	132000
43	Kanpur	Farrukhabad	7		1	1	2	150000
44	Kanpur	Auraiya	7				0	126000
45	Kanpur	Etawah	8		1	1	2	168000
46	Kanpur	Kannauj	8	1			1	156000
47	Kanpur	Kanpur Dehat	10	1			1	192000
48	Kanpur	Kanpur Nagar	10		2	1	3	216000
49	Lucknow	Hardoi	19		1	1	2	366000
50	Lucknow	Lakhimpur K	15		1	1	2	294000
51	Lucknow	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	4	246000
52	Lucknow	Rae Bareli	18		1	1	2	348000
53	Lucknow	Sitapur	19		1	1	2	366000
54	Lucknow	Unnav	16		1	1	2	312000
55	Meerut	Bagpat	6				0	108000
56	Meerut	Bulandshahar	16	1	1	1	3	324000
57	Meerut	G B Nagar	4	1			1	84000
58	Meerut	Ghaziabad	4	1	1	1	3	108000
59	Meerut	Hapur	4					72000

60	Meerut	Meerut	12		1	1	2	240000
61	Mirzapur	Mirzapur	12		1	1	2	240000
62	Mirzapur	Sonbhadra	8	1			1	156000
63	Mirzapur	SRavidas N	6		1		1	120000
64	Moradabad	Bijnor	11	1		1	2	222000
65	Moradabad	JP Nagar	6				0	108000
66	Moradabad	Moradabad	8		1	1	2	168000
67	Moradabad	Rampur	6		1	1	2	132000
68	Moradabad	Sambhal	8					144000
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	9		1	1	2	186000
70	Saharanpur	Saharanpur	11		1	1	2	222000
71	Saharanpur	Shamli	5					90000
72	Varanasi	Chandauli	9		1		1	174000
73	Varanasi	Ghazipur	16		1	1	2	312000
74	Varanasi	Jaunpur	21		1	1	2	402000
75	Varanasi	Varanasi	8		3	1	4	192000
			823	**19**	**56**	**53**	**128**	**16350000**

***पत्रांकः एम.डी.–कैम्प/2014–15/1647 दिनांकः 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र–सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।**

उपरोक्त 128 जिला अस्पतालों एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों (लखनऊ हेतु 03 अतिरिक्त कम्प्यूटर हेतु) में अन्य आफिस व्यय (Stationery Support for work plan generation) हेतु रू0 163,50,000.00 (रु0 एक करोड तिरसठ लाख पचास हजार मात्र)।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार ब्लॉक पी0एम0यू0 में अन्य आफिस व्यय का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.2.12 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

04/11/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्याः एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 एडमिन इकपेन्सस/2015-16/51-सी/ तद्‌दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0 एव महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 एडमिन इक्पेन्सस/2015–16/51–सी/ 7451-2-8 तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0 एव महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

04/11/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक